न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद / 131 / 2015

1. मन्नी पुत्री स्व0 गुलाराम पत्नी श्री हरफूल जाति जाट, निवासी ग्राम जलालसर तहसील फतेहपुर, जिला–सीकर (राजस्थान)
2. जयकोरी पुत्री स्व0 गुलाराम पत्नी श्री भागीरथ जाति जाट, निवासी ग्राम जलालसर तहसील फतेहपुर, जिला–सीकर (राजस्थान)
3. बिमला पुत्री स्व0 गुलाराम पत्नी श्री बलबीर जाति जाट, निवासी खांजी का बास, तहसील फतेहपुर, जिला–सीकर (राजस्थान)
4. बसन्ती पुत्री स्व0 गुलाराम पत्नी श्री रामेश्वर जाति जाट, निवासी खांजी का बास, तहसील फतेहपुर, जिला–सीकर (राजस्थान)

–वादियागण

बनाम

1. सावित्री पत्नी स्व. शिवपाल जाति जाट, निवासी ग्राम झाडेवा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला–सीकर (राजस्थान), हाल आबाद पत्नी श्री रामस्वरूप पुत्र कजोडमल, जाति जाट, निवासी ग्राम स्वामी की ढाणी, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला–सीकर (राजस्थान)
2. पूनम पुत्री स्व0 शिवपाल, जाति जाट, निवासी ग्राम झाडेवा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला–सीकर (राजस्थान),हाल आबाद माता के वर्तमान गृह–सावित्री पत्नी श्री रामस्वरूप पुत्र कजोडमल, जाति जाट, निवासी ग्राम स्वामी की ढाणी तन बलारां, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला–सीकर (राजस्थान)
3. ललिता पुत्री स्व0 शिवराज जरिये संरक्षिका माता सावित्री पत्नी श्री रामस्वरूप पुत्र कजोडमल, जाति जाट, निवासी ग्राम स्वामी की ढाणी, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला–सीकर (राजस्थान)
4. नेमीचन्द पुत्र गुल्लाराम
5. बाबुलाल पुत्र गुल्लाराम
6. राजेन्द्र पुत्र नौंरगलाल
7. भंवरी पत्नी नौंरगलाल
8. ताराचन्द पुत्र स्व0 बालूराम
9. फूलचन्द पुत्र स्व0 बालूराम
10. मदन उर्फ दयाराम पुत्र स्व0 बालूराम
11. करनीराम पुत्र स्व0 बालूरासम
12. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 तिलोकाराम
13. रामकरणी पत्नी स्व0 तिलोकाराम
    समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम झाडेवा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला–सीकर
14. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नवलगढ (झुन्झूनु), जरिये शाखा प्रबन्धक, तहसील नवलगढ, जिला–झुन्झूनू (राज.)
15. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–बीदासर, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला–सीकर (राज.), जरिये शाखा प्रबन्धक
16. ऑरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा नवलगढ, जिला–झुन्झुनूं (राज.), जरिये शाखा प्रबन्धक।
17. पटवारी, पटवार हल्का बिडोदी बडी, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला–सीकर (राजस्थान)
18. भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त–बलारां, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला–सीकर (राजस्थान)
19. उपपंजीयक महोदय, लक्ष्मणगढ, जिला–सीकर (राज.)
20. तहसीलदार महोदय, लक्ष्मणगढ, जिला–सीकर (राजस्थान), बहैसियत भूधारक

–प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती</u>

–:निर्णय:– **दिनांक–11.06.2018**

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है यह कि वादग्रस्त आराजियात भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 2.98 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 2.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 / 2 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 119 रकबा 1.16 हैक्टेयर, कुल किता 6, कुल रकबा 7.88 हैक्टेयर, तन ग्राम झाडेवा, पटवार हल्का बिडोदी बडी, भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त–बलारां,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसील लक्ष्मणगढ, जिला–सीकर (राजस्थान) में अवस्थित है, जिन्हे आगे इस वाद–पत्र में वादग्रस्त आराजियात के रूप में सम्बोधित किया जावेगा।

यह कि वादियागण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह कि उपरोक्त वर्णित आराजियात में वादियागण प्रत्येक का 1/24, 1/24 हक, हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का 1/24 हक, हिस्सा है व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 5 प्रत्येक का 1/24, 1/24 हक, हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 7 का 1/24 हक, हिस्सा है, प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 11 का 1/3 हक, हिस्सा है।प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 13 का 1/3 हक, हिस्सा है।

यह कि उक्त वर्णित भूमियां वादियागण को उनके पिता स्व0 गुलाराम के मरने के बाद जायन्दा पुत्रियां होने से प्राप्त हुई है तथा जो वादियागण के कब्जेकाश्त में ही चली आ रही है, वादियागण का प्रत्येक का 1/24, 1/24 हक, हिस्से पर कब्जा है व काश्त करती आ रही है, वादियागण के उक्त 4/24 हिस्से में किसी दीगर व्यक्ति का सम्बन्ध नहीं है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 का पति व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का पिता स्व0 शिवराज व प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 बहुत ही होशियार व चालाक किस्म के व्यक्ति हैं, जिन्होनें गुलाराम का मृत्यु के बाद वादियागण की हिस्सेदारी 4/24 की खातेदारी की भूमि विरासत में प्राप्त की हैं, जिन्होनें ग्राम पंचायत व राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ करके वादियागण के पिता स्व0 गुलाराम की मृत्यु पर उनके 4/24 हिस्से की विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकार करवा लिया, जबकि मृतक की वैद्य वारिसान वादियागण भी हैं, प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 7 का ही एकमात्र स्व0 गुलाराम की भूमि में हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वादियागण का भी स्व0 गुलाराम की भूमि में 4/24 हिस्सा जायन्दा पुत्रियां होने के नाते हैं।

यह कि बिना विधिक बंटवारा हुए आराजियात को लेकर वादियागण व प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 में आपस मे भूमि को लेकर, उसके महत्वपूर्ण भू भाग को लेकर मनमुटाव की स्थिती उत्पन्न हो गयी हैं, प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजियात में मिट्टी आदि खोदकर एवम् पेड–पौधे काटकर मौके की स्थिती में परिवर्तन करने को उतारू हैं एवम् वादग्रस्त आराजियात को अजनबी भूमाफिया गिरोह के व्यक्तियों को विक्रय करने को उतारू हैं एवम् वादियागण को वादग्रस्त आराजियात से बेदखल करने पर आमादा हैं, इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजियात को स्वयं मय नौकर, चाकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि वादियागण को बलात् बेदखल करने से नींव–सींव तोडफोड करने से, कच्चा–पक्का निर्माण करने से, मिट्टी आदि खोदने से व बेचान करने के लिए व भूमि का संपरिवर्तन करने के लिए सदैव के लिए बाज रहें।

यह कि प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का पिता व प्रतिवादी संख्या 1 का पति व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 5 व प्रतिवादीगण सख्या 6 का पिता व 7 का पति ही वैद्य वारिस नहीं है, बल्कि गुलाराम की जायन्दा पुत्रिया भी वारिस हैं, किन्तु विरासत का नामान्तरकरण संख्या 130 दिंनाकित 12.05.1993 स्वीकार कर लिया, जो निम्न कारणो से अवैद्य व शून्य है– (क) यह कि मृतक खातेदार गुलाराम की मृत्यु के समय मृतक की जायन्दा पुत्रियां भी वैद्य वारिस मौजुद थी तथा प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 7 ही वारिस नहीं हैं, इसलिए नामान्तरकरण अवैद्य व शून्य है। (ख) यह कि नामान्तरण स्वीकार करने से पूर्व वादियागण को कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा नामान्तरकरण बिना सुनवाई के स्वीकार हुआ होने के कारण अवैध व शुन्य है। (ग) यह कि गुलाराम के सिर्फ जायन्दा पुत्र ही नहीं है, वादियागण भी जायन्दा पुत्रियां है, लेकिन नामान्तरकरण में वादियागण को विरासत में शामिल नहीं किया गया, इसलिए नामान्तरकरण अवैद्य, शून्य तथा निरस्त किये जाने योग्य है।यह कि वादियागण अपने 4/24 हिस्से की भूममि पर काबितकास्त है व अपनी काश्त की वादग्रस्त भूमियों को राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा वादियागण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने से दिनांक 15.05.2015 को स्पष्ट इनकार हो गये तथा दिनांक 16.08.2015 मको प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने वादियागण को धमकी दी की उक्त भूमि का विक्रय, अन्तीरएा व प्रळाारण, विनिमय करेगे तथा प्रलेख पंजीबद्व करवायेगें एवम् प्रतिवदीगएा संख्या 17,18 व 20 से मिलकर राजस्व रिकसर्ड दीगर व्यक्तियों के नाम करवा देगें, जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को ऐसा करने का कोई कानूनन हक, अधिकार नही है व वादग्रस्त आराजियात में जगरन कब्जा करने को पिछले 10 रोज से लगातार सचेष्ट हो रहे है, प्रतिवादीगण अपने उक्त अवैध कार्यवाही में सफल हो जाते है, तब इस परिस्थिति में वादियागण के विधिक अधिकारों पर आघात होकर भारी असीमित क्षति होगी, इस कारणउक्त प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबधित फरमाया जाना हर दृष्टि से उचित व न्यायसंगत है।

यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 अपनी उक्त कुचेष्टा में सफल हो गये तो वादियागण को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से संभव नही हो सकेगी। यह कि प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 13 सह कास्तकार है जो बंटवारा के बाद में आवश्यक पक्षकार है तथा प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 16 के पक्ष में वादग्रस्त आराजियात रहन रखी हुई है, इसलिए आवश्यक पक्षकार बनाये गये है। प्रतिवादीगण संख्या 17 से 20 लोक सेवक है व प्रतिवादी संख्या 19 के यहां पर प्रलेख पंजीबद्व करवाने की धमी दी है तथा 17,18 व 20 से मिलकर

वादग्रस्त आराजियात अन्य व्यक्तियों के नाम अंतरण व प्रभारण की धमकी देने के कारण पक्षकार बनाये गये है। प्रतिवादी संख्या 17 ता 20 लोक सेवक है जिनके खिलाफ वाद प्रस्तुति के पूर्व 2 माह पूर्व विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक हैख लेकिन वाद की अत्यावश्यक प्रकृति को देखते हुये वाद बिना नोटिस दिये ही अविलम्ब प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसकी अनुमति हेतु अलग से प्रार्थ्स्ना पत्र अ.धारा 80 (2) सी.पी.सी का पेश कर दिया गया है।

यह कि वादकारण दिनांक 15.08.2015 को राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा वादियागण का नाम दर्ज करवाने से स्पष्ट इन्कार हो जाने के कारण तथा दिनांक 16. 08.2015 को प्रतिवादीगण संख्यस 1 ता 7 ने वादियागण को धमकी दी कि उक्त भूमि को हम अन्यथा रहन, विक्रय, अन्तरण, प्रभारण, विनिमय करेगें, इस आशय की धमकियां मिलने से दावा क्षण प्रतिक्षण चालू है। यह कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम झाड़ेवा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राजस्थान तनकी तन में अवस्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को वाद की सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार हासिल है। यह कि वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर सावधि प्रस्तुत है।

यह कि वादियागण निम्न इस्तदुआ करती है– खिलाफ प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जावें कि वादग्रस्त आराजियात भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 2.98 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 2.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 0. 04. हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99/2 रकबा 1.02. हैक्टेयर, खसरा नम्बर 119 रकबा 1.16. हैक्टेयर, कुल किता 6, कुल रकबा 7.88 हैक्टेयर, तन ग्राम झाड़ेवा, पटवार हल्का बिडोदी बड़ी, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बलारां, तहसील लक्ष्मणगढ लिस सीकर राजस्थान में अवस्थित भूमियों में वाद–पत्र की मद संख्या 3 के मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड्स विभाजन किया जाकर वादियागण प्रत्येक को अपना 1/24/, 1/24 हिस्सें की विधिक कास्तकार उद्घोषित फरमाया जावे व अलग अलग हिस्से को राजस्व ट्रेस नक्शे में दर्शाते हुये अलग अलग हिस्सा /बट्टा डालते हुये तरमीम अंकन फरमाया जावें। कि वादग्रस्त आराजियात में से वादियागण को अपने विधिक हिस्से से बलात् बेदखल करने से नींव–सींव, तोड़फोड़ करने से, विक्रय करने, अंतरण व प्रभारण, विनिमय करने से, कच्चा पक्का निर्माण करने से, मिट्टी आदि खोदने से सदैव कके लिये बाज रहे व मौके व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। कि अन्य न्यायोचित सहायता जो वादियागण प्राप्त करने की अधिकारिणी हो, प्रतिवादीगण से दिलवायी जावें।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 कि ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। शेष प्रतिवादीगण पर विधिवत तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसी दौरान दिनांक 06.12.2016 को प्रार्थिया/प्रतिवादीगण सं. 1 कि ओर से प्रार्थना–पत्र अ. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश किया गया। जिसकी बहस सुनी जाकर प्रार्थिया/प्रतिवादीगण सं. 1 कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अ. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सारहीन व विधि विरूद्ध होने से दिनांक 13.12.2017 को खारिज किया गया। पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाब दावा में चल रही थी। चूंकि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा काश्तकारों/जनता को राहत प्रदान करने के लिए राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं। अतः इसी दौरान पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प बीदासर में पेश हुई। जिसमें कैम्प स्थल पर प्रतिवादीगण सं. 4 ता 7 स्वयं उपस्थित होकर पत्रावली पर अंकित किया कि वादीगण पक्ष के वाद के मुताबिक वादीगण को हिस्सा देने में सहमत है। उक्त को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें कैम्प स्थल पर उपस्थित होने हेतु प्रतिवादीया सं. 1 सावित्री पर विधिवत तामील हो चुकी है। जिनकी ओर से पूर्व में प्रार्थना–पत्र अ. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सारहीन व विधि विरूद्ध होने से दिनांक 13.12.2017 को खारिज किया जा चुका था। यदि आदिनांक तक प्रतिवादीया सं. 1 सावित्री को प्रकरण में कोई जवाब आदि पेश करना होता तो किया जा सकता था। परन्तु कोई जवाब आदि प्रतिवादीगण कि ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही प्रकरण वर्ष 2015 से लम्बित है, जो कि प्रतिवादीगण द्वारा महज और महज देरी की जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे को अनावश्यक रूप से चलाकर न्यायालय का समय को जाया करने जैसा प्रतीत होता है। साथ ही प्रकरण से संबंधित एक अन्य ''वाद सं. 111/2007 बउनवान मन्नी देवी आदि बनाम सावित्री आदि'' जिसको भी आज ही कैम्प स्थल पर निर्णित किया जा रहा हैं, उक्त वाद और हस्तगत वाद में पक्षकार/खातेदार तथा वादीगण आदि समान है। आराजियात जरूर अलग–अलग है। उक्त दावे में न्यायालय की समस्त प्रक्रियाऐं पूर्ण हो चुकी है। जिसके कारण यह प्रतीत होता है कि प्रकरण दावों में वादीगण तथा पक्षकार आदि लगभग समान होने से इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि हस्तगत वाद का तथा उक्त वाद की कार्यवाहीयों से वादीगण तथा पक्षकार आदि अवगत न हों। अतः हस्तगत वाद का भी आज निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली का अवलोकन किया जाकर शेष उपस्थित प्रतिवादीगण सहमति के मध्यनजर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि के अवलोकन के बाद पत्रावली में वर्णित

तथ्यों व पत्रावली के अवलोकन के बाद वादीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है कि आराजियात भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 2.98 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 2.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.04. हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99/2 रकबा 1.02. हैक्टेयर, खसरा नम्बर 119 रकबा 1.16. हैक्टेयर, कुल किता 6, कुल रकबा 7.88 हैक्टेयर, तन ग्राम झाड़ेवा, पटवार हल्का बिडोदी बड़ी, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बलारां, तहसील लक्ष्मणगढ लिस सीकर राजस्थान में अवस्थित भूमियों में गुल्लाराम की विरासत तक निरस्त किया जाकर वाद–पत्र की मद संख्या 3 के मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड्स विभाजन किया जाकर वादियागण प्रत्येक को अपना 1/24, 1/24 हिस्से का खातेदार, काबिज काश्तकार उद्घोषित किया जाकर विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर अलग खसरा नम्बर व अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादीगण सं. 1 ता 13 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से में दखलअंदाजी न पैदा करें। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को मेरे द्वारा केम्प कोर्ट बीदासर में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– बीदासर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस

मन्नी आदि बनाम सावित्री आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर– 131/2015 **निर्णय दिनांक– 11.06.2018**

वादी..... व प्रतिवादीगण..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11.06.2018 को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है कि आराजियात भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 2.98 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 2.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.04. हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99/2 रकबा 1.02. हैक्टेयर, खसरा नम्बर 119 रकबा 1.16. हैक्टेयर, कुल किता 6, कुल रकबा 7.88 हैक्टेयर, तन ग्राम झाड़ेवा, पटवार हल्का बिडोदी बड़ी, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बलारां, तहसील लक्ष्मणगढ लिस सीकर राजस्थान में अवस्थित भूमियों में गुल्लाराम की विरासत तक निरस्त किया जाकर वाद–पत्र की मद संख्या 3 के मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड्स विभाजन किया जाकर वादियागण प्रत्येक को अपना 1/24, 1/24 हिस्सें का खातेदार, काबिज काश्तकार उद्घोषित किया जाकर विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर अलग खसरा नम्बर व अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादीगण सं. 1 ता 13 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से में दखलअंदाजी ने पैदा करें। रहन यथावत रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे।

यह आज तारीख 11.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुहर

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– बीदासर

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया		रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6. कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7. आदेशिका की तामिल		कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– बीदासर